भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण/ SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली/Tel: 022-28294770 फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : emseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/ Web-site : www.seepz.gov.org

सत्यमेव जयते

सं.सीप्ज़-सेज़/इस्टेट/एटीएच/163/2017-18/00627 दिनांक: 12.01.2018

परिपत्र संख्या 25 /2018

विषयः सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण पर आय कर के स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों का लागू न होना ।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सेज़ अधिनियम, 2005 (केंद्रीय अधिनियम) के तहत सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण स्थापित किया गया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली ने आय कर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दिनांक 22.12.2017 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.4010(ई) द्वारा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को आय कर की लेवी से छूट प्रदान की है । तदनुसार, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को इसके द्वारा प्राप्त की जानी वाली आय के स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्राप्त है जिसकी नियम संबंधी स्थिति इस प्रकार है:-

(i) चूंकि, आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के तहत सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की आय कर की लेवी से पूर्णतः छूट प्राप्त है, अतः यह आय कर अधिनियम की धारा 4 जोकि आय कर का प्रभार्य उपबंध है, के कार्य-क्षेत्र के बाहर है । आय कर अधिनियम की धारा 4 के सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की आय पर लागू न होने के कारण स्रोत पर कर कटौती संबंधी उपबंध भी सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण पर लागू नहीं होंगे ।

(ii) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के उपबंध के अनुसार केंद्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत स्थापित किसी निगम जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी आय पर आय कर से छूट प्राप्त हो, के ब्याज़ अथवा उसकी अन्य किसी आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की जानी आवश्यक नहीं होगी । चूंकि, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है तथा इसको आय कर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत आय कर से छूट प्राप्त है, अतः स्रोत पर कर की कटौती की जानी आवश्यक नहीं है ।

..जारी..

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सभी यूनिटधारकों/आवेदकों तथा ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को दिए जाने वाले किराए/आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती न करें ।

(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक,
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः

- (i) सभी यूनिट/जनोपयोगी सेवाएं/बैंक
- (ii) सूचना पट्ट
- (iii) मेसर्स आरडीके चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म्स
- (iv) वेबसाइट

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: emseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

No. SEEPZ-SEZ/Estate/ATH/163/2017-18/00627 Dated: 12.1.2018

CIRCULAR NO. 24 /2018

SUB: NON APPLICABILITY OF TDS PROVISIONS OF INCOME TAX ON SEEPZ SEZ AUTHORITY

SEEPZ SEZ Authority is established under SEZ Act, 2005(Central Act). Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, New Delhi has exempted under Section 10(46) of Income-tax Act from levy of Income-tax vide Notification No. S.O.4010(E) dated 22.12.2017. Accordingly, SEEPZ SEZ Authority is exempted from deduction of tax at source on the income received by it and the Rule position in this regard is given as under:

i) As the income of SEEPZ SEZ Authority is totally exempt from levy of Income-tax under section 10(46) of Income tax Act, 1961, therefore, it is outside the purview of Section 4 of Income tax Act which is charging provision of Income-tax. Hence, due to non-applicability of Section 4 of Income-tax Act on the income of SEEPZ SEZ Authority, none of the TDS provisions would also be applicable to the Income of SEEPZ SEZ Authority.

ii) As per provision of Section 196 of the Income-tax Act, 1961, no tax at source is required to be deducted in respect of interest or any other income accrued or arising to a corporation established by or under a Central Act, which is, under any law for the time being in force, exempt from Income-tax on its income. As SEEPZ SEZ Authority is established under Central Act and is exempted from tax on its income under Section 10(46) of Income-tax Act, hence no tax at source is required to be deducted.

Contd.........2/-

In view of the above, all the Unit holders/Applicants/Clients of SEEPZ SEZ Authority are requested not to deduct any tax at source on Rent/income accruing to SEEPZ SEZ Authority.

(Mahesh Yadav)
Estate Manager,
SEEPZ-SEZ

To:

(i) All Units/Public Utilities/Banks
(ii) Notice Board
(iii) M/s RDK Chartered Accountant firms
(iv) Website